

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर 2016—अग्रहायण 2, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. एफ. ए. 3-26-2013-एक (1)-1596.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2013-एक(1)-1362, दिनांक 17 अक्टूबर 2016 में अंशतः संशोधन करते हुए और मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित मंत्रियों के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं:—

स. क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	सौंपे गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय (3)
09	श्री रूस्तम सिंह, मंत्री	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा आयुष का अतिरिक्त प्रभार.
14	श्री पारसचन्द्र जैन, मंत्री	ऊर्जा तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. पी. सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. एफ ए 3-26-2013-एक (1)-1597.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-26-2013-एक (1)-1596, दिनांक 23 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. पी. सिंह, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 23rd November 2016

No. F A 3-26-2013-One (I)-1596.—In partial modification of the Department's Notification No. F A 3-26-2013-One (I) 1026, dated 17th October, 2016 and in pursuance of rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh has been pleased to assign to the charge of the following. Ministers the Department(s) and or the items(s) of business in the department(s) shown against his name:—

S. No.	Name of Minister	Department(s) and/ or item(s) of business in the department assigned
(1)	(2)	(3)
09	Shri Rustam Singh, Minister.	Public Health and Family Welfare and Additional charge of Ayush.
14	Shri Paras Chandra Jain, Minister.	Energy and Additional charge of New and Renewable Energy.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. P. SINGH, Chief Secy.